

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत**

Ph. No. 05966-220679 Fax No. 05966-220679

E-mail – cepdrahi@yahoo.com

पत्रांक २६०८ / ३६९

दिनांक रानीखेत, सितम्बर २७/२०१९.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद हरि सिंह मोटर मार्ग-तौलबुधानी से रतखाल तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु २.५२ हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/21140/2016)

सन्दर्भ :- भारत सरकार देहरादून का कार्यालय पत्रांक ८बी./यू.सी.पी./०६/११८/२०१८/एफ.सी./८८३ दिनांक २५.०७.२०१९।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार देहरादून द्वारा E.D.S. दिनांक १९.११.१८ द्वारा जो विभाग द्वारा विषयांकित मोटर मार्ग के आपत्तियों का निराकरण ऑन लाईन किया गया था उनमें पुनः बिन्दु संख्या-०१, ०४, ०५, ०६, ०७, ०८ का आपत्तियों का निराकरण करने के लिए निर्देश दिये गये हैं, जिनका ऑन लाईन निराकरण कर लिया गया है जो निम्नवत् है।

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
१	२	३
१.	The reply to point No. 01, 04, 05, 06, 07 & 08 of EDS dt. 19.11.2018 is still not complied State Government may do the needful in this regard.	१. क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल मानचित्र की KML फाईल पार्ट I के L सैक्शन के (e) में ऑन लाईन कर दी गयी है। ४. एन.पी.वी. कैलकुलेशन सीट पार्ट I के V सैक्शन में ऑन लाईन कर दी गयी है तथा हार्ड कापी प्रेषित की जा रही है। ५. इम्पाइमैन्ट जनरेशन पार्ट I के पैरा E में अपलोड कर दी गयी है। ६. क्षतिपूरक वृक्षारोपण डिजिटल मानचित्र में २०० से ३०० मीटर की दूरी पर कोडिनेट अंकित कर पार्ट I में ऑन लाईन कर दिया गया है। ७. क्षतिपूरक वृक्षारोपण KML फाईल में कोई भी मोटर मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, जिसे पुनः ऑन लाईन कर दिया गया है। ८. मोटर मार्ग की पार्ट I, पार्ट II, पार्ट III की प्रति ऑन लाईन कर दी गयी है।
२.	In reply to point No. 03 (a), muck disposal plan is not countersigned by DFO. State Government may submit the muck disposal plan duly countersigned by DFO.	मक डिस्पोजल योजना में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के प्रतिहस्ताक्षर करा दिये गये हैं, जिसे ऑन लाईन प्रेषित किया जा रहा है।
३.	In reply to point 03 (b), tree enumeration list of trees falling in 0-10 dia class and 10-20 dia class has not been submitted. State Government may submit the said tree enumeration list now.	मोटर मार्ग के समरेखण में ०-१० व १०-२० व्यास वर्ग के कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं, जिस सम्बन्ध का प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा रहा है।
४.	इसके अतिरिक्त बिना KML file के प्रकरण का पूर्ण परीक्षण संभव नहीं है। अतः राज्य सरकार प्रस्ताव मार्ग की KML पिसमए ऑन लाईन para C(ii) (b) पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।	मोटर मार्ग की KML फाईल पार्ट I के पैरा c(ii) b पर अपलोड कर दी गयी है।

प्रभारी अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।